an>

Title: Regarding water disputes between Haryana and Punjab.

श्री भगवंत मान (संगरूर): अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत शुक्रिया। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी का जो विवाद है, वह काफी लम्बे समय से चल रहा है। कोई जमाना था, जब राजस्थान को पानी जाता था, उसकी रायल्टी मिलती थी, वह भी पंजाब को अब मिलनी बन्द हो गई है। यह विवाद शुरू कहां से हुआ, मैं थोड़ा उस पर जाना चाहता हूं। 8 अप्रैल, 1982 में कपूरी गांव, जो पटियाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी गई थीं। वहां से एस.वाई.एल. का जो फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था, उसमें कैप्टन अमरिन्दर सिंह जी मौजूद थे, मेरे पास उनका फोटो है। कांग्रेस के समय यह शुरू हुआ है। ...(व्यवधान) बिट्टू जी, आप प्लीज़ बैठ जाइये। कांग्रेस के समय में यह शुरू हुआ था। उसके बाद 1956 का जो पानी का एक्ट था, उसमें एमेंडमेंट भी यू.पी.ए. गवर्नमेंट ने की कि अगर दो स्टेट्स में झगड़ा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। जब 2004 में कैप्टन अमरिन्दर सिंह जी की सरकार ने विधान सभा में अध्यादेश लेकर आये कि पंजाब का पानी कहीं नहीं जाने देंगे तो उसको यू.पी.ए. गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया, मानने की बजाय, इसकी वजह से वह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई थी तो एन.डी.ए. गवर्नमेंट ने एफीडेक्टि दिया है कि वह 2004 का जो केस था, वह अध्यादेश गलत था तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि पंजाब, जो अब पानी के संकट से गुजर रहा है, न तो पीने का पानी पंजाब में रहा है, न ही खेती के लिए पंजाब में है। हालांकि पंजाब का नाम पांच आब, पांच दरियाओं पर हमारी स्टेट का नाम है, पर पंजाब के पानी को बचाने के लिए दोनों पार्टियां सिर्फ राजनीति करती हैं। मैं यह चाहता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाये कि किसने शुरू किया, अब कहां तक बात पहुंची और इन दोनों पार्टियों का जो राजनीति का चेहरा है, वह सब के सामने आना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि पंजाब के पानी को बचाने के लिए आप संरक्षण दीजिए। आप मिनिस्ट्री को लिखिये, आप प्लीज़ उनको नोटिस दीजिए कि पंजाब के पानी को बचाया जाये। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : रवनीत जी, आपने इसी पर एडजर्नमेंट मोशन दिया है, आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : आपने मुझे बोलने का मौका दिया, पहले तो मैं आपका बहुत ही आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि कई दिनों से एडजर्नमेंट मोशन हम लगा रहे थे। स्पीकर मैडम, यह बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है। मान साहब पार्लियामेंट मैम्बर हैं, उनका हक है, लेकिन उनकी पार्टी अभी नई है। यह मैं एक्सपीरिएंस की बात...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पार्टी का सवाल नहीं, आप अपनी बात कहो न।

श्री रवनीत सिंह : इनको वह इश्यू पता नहीं है। उस टाइम क्या था, जब इन्होंने नाम लिया, इन्दिरा गांधी जी का और कैप्टन अमरिन्दर सिंह जी का, पर उन्होंने 2004 में सारी पार्टियों से बात करके, किसी से अकेले नहीं, बी.जे.पी. भी थी, अकाली दल भी था और ये तो थे नहीं तो वहां पर यह फैसला किया। पंजाब में जब एस.वाई.एल. कैनाल बनाने की बात हुई थी, तब पानी पंजाब में था। पंजाब पानी दे सकता था, अब भी राजस्थान को पानी जा रहा है, हरियाणा को जा रहा है, दिल्ली को जा रहा है, लेकिन इतने साल बाद अब स्थिति यह है कि पंजाब में 56 ब्लॉक्स ब्लैक जोन डिक्लेयर हो चुके हैं और जो पिछले साल का रिकार्ड आया है, 449 फॉर्मर्स ने, यह हाईएस्ट है, महाराष्ट्र के बाद दूसरे नम्बर पर पंजाब है, जिन्होंने सुसाइड्स की हैं। यह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने दिया है। यही कारण है बार-बार पंजाब रिक्वैस्ट कर रहा है, इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट में, अब मेरी आपसे गुजारिश क्या है, पंजाब में 35 हजार लोग शहीद हुए हैं, मारे गये हैं, इस पानी की वजह से, ऐसा माहौल पंजाब में रहा है। उसमें सब पार्टियों के लोग शहीद हुए हैं, मैं वह बात नहीं कहता। अब बात यह है, दोबारा जो सुप्रीम कोर्ट में जो सैण्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो सोलिसिटर जनरल गये हैं, वहां जो उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट पंजाब एस.वाई.एल. कैनाल बनाने को हिदायत करे इससे दोबारा पंजाब में आग लग सकती है, इसलिए सैण्ट्रल गवर्नमेंट को पंजाब के हक में बात करनी चाहिए। यह आपकी तरफ से हम चाहते हैं कि आप होम मिनिस्ट्री को और लॉ मिनिस्ट्री को कहें कि उनका जो वकील है...(व्यवधान) वह उनके पक्ष की बात करे।

माननीय अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं करें।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : मैडम, मैं इस पर क्लियर करना चाहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। हम कोई फेवर नहीं चाहते, पर हम केन्द्र सरकार की ओर से इम्पार्शियल बर्ताव जरूर चाहते हैं। पहले केन्द्र की ओर से इमरजेंसी के दिनों में भी पार्शियल एटीट्यूड हुआ। आज हम जरूर अपेक्षा करेंगे कि रिपैरियन लॉ के अनुसार भारत सरकार स्टैण्ड ले। यदि इमरजेंसी की तरह पार्शियल एटीट्यूड हुआ तो पंजाब के हालात खराब होंगे। पंजाब खुद पानी नहीं दे सकता। वहां पानी ज्यादा नहीं है। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, यह इश्यू समाप्त हो गया। इस पर कोई डिस्कसन नहीं करना है।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मान जी, बैठिए। आप इसे सपोर्ट करें या कुछ भी करें, पर इस पर निर्णय आपको चाहिए।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दुष्यंत जी, बैठिए।